

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 425 / 2021

वाद पत्र अं० धारा 88/35 आर.टी.ए.



1. मोतीराम पुत्र भूपराम
2. नरसीराम पुत्र भूपराम
3. जगदीश पुत्र भूपराम
4. अनिल पुत्र स्व श्री रामचन्द्र
5. धर्मवीर पुत्र स्व श्री रामचन्द्र

जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा
उतराधा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ

—वादीगण

बनाम्

1. सुभाष पुत्र भूपराम
2. सुग्रीव पुत्र भूपराम
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया

जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतराधा
तह संगरिया जिला हनुमानगढ राज

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री कैलाश सिंवल -वकील वादीगण
2. श्री हरबंश झोरड -वकील प्रति 1 ता 2

निर्णय

दिनांक :-

वादीगण मातीराम वगैरा ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा के तहत दिनांक 16/11/2021 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि प्रतिवादी स 1 व 2 वादी स 1 ता 3 सगगे भाई है व वादी स 5 के चाचा है कि प्रतिवादी स 1 व 2 के नाम से चक 8 पी.टी.पी खाता स 129/62 जमाबंदी स 2073-2076 मे 0.253 है कृष भूमि ब.हि.ब दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रमाणित प्रति सलग्न वाद पत्र है कि वादीगण व प्रतिवादी स 1 व 2 ने पूर्व मे माननीय न्यायलय मे एक वाद पत्र 70/2018 पेश किया था जिसमे वादीगण एव प्रतिवादी स 1 व 2 वादीगण को उक्त वाद पत्र दिनांक 17/06/2021 को डिक्री हो चुका है कि वाद पत्र की चरण सख्या 3 मे वर्णित भूमि वादीगण के बटवारा मे आई है कब्जा बाबत कोई विवाद नही है वाद पत्र की चरण स 3 मे वर्णित भूमि मे वाद पत्र मे सहबन से छुट गई है। कि प्रतिवादी स 1 व 2 को बटवारा मे 11 पीटीपी के खाता स 22/13 ज.स 2071-2074 मे 0.253 है व इसी चक के खाता स 54/40 मे 2.024 है व इसी चक के खाता स 54/40 मे



2.024 है व इसी चक के खाता स 55/41 म 1.288 है कृषि भूमि प्राप्त हुई कि प्रतिवादी स 1 व 2 के नाम दर्ज वाद पत्र की चरण स 3 मे वर्णित भूमि वादीगण को बटवारा मे प्राप्त हुई है जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एव दावेदार है कि वादीगण ने पिछले सप्ताह प्रतिवादी स 1 व 2 से निवेदन किया व वादीगण का वाद पत्र की चरण सख्या 3 मे वर्णित कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार होने मान लो लेकिन प्रतिवादीगण वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इंकार हो गया बस यही वाद कारण है कि प्रतिवादी स 3 भू धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है इनसे किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है कि वादीगण का वाद उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है जो कि माननीय न्यायलय के श्रेत्राधिकार एव श्रवणाधिकार मे है अत वादी पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण के पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण के विरुध निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण को चक न 8 पि.टी.पी खाता स 129/62 ज.स 2073-2076 मे 0.253 है कृषि भूमि के वादी स 1 ता 3 को 0.190 है ब.हि.ब व वादी स 4 व 5 को 0.063 है ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी स 1 व 2 सुभाष व सुग्रीव कुमार का नाम कलमजन किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 2 ने सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 3 का जबाब दावा पेश हुआ। जो शामिल पत्रावलो किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया वादी स 4 ने साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण को चक न 8 पो.टी.पी खाता स 129/62 ज.स 2073-2076 मे 0.253 है कृषि भूमि के वादी स 1 ता 3 को 0.190 है ब.हि.ब व वादी स 4 व 5 को 0.063 है ब.हि.ब के खातेदार काश्त किया जाकर प्रतिवादी स 1 व 2 सुभाष व सुग्रीव कुमार का नाम कलमजन किया जावे। प्रतिवादीगण के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादीगण के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कथन का विरोध नहीं किया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। इसलिए वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः वाद वादीगण उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता है कि वादीगण को चक न 8 पोटी.पी खाता स 129/62 ज.स 2073-2076 मे 0.253 है कृषि भूमि के वादी स 1 ता 3 को 0.190 है ब.हि.ब व वादी स 4 व 5 को 0.063 है ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी स 1 व 2 सुभाष व सुग्रीव कुमार का नाम कलमजन किया जाता है।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना-अपना अलग वहन करेगे।

नोट:- बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक. 22/03/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 425/2021
वाद पत्र अंधारा :- 88/53 आरटीए



1. मोतोराम पुत्र भूपराम
 2. नरसीराम पुत्र भूपराम
 3. जगदीश पुत्र भूपराम
 4. अनिल पुत्र स्व श्री रामचन्द्र
 5. धर्मवीर पुत्र स्व श्री रामचन्द्र
- जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा
उतराधा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ
- वादीगण

बनाम्

1. सुभाष पुत्र भूपराम
 2. सुग्रीव पुत्र भूपराम
 3. तहसीलदार राजस्व संगरिया
- जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतराधा
तह संगरिया जिला हनुमानगढ राज
- प्रतिवादीगण

दिनांक :-

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिंवल वकील वादीगण व श्री हरंबस झोरड वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वादीगण को चक न 8 पि.टी.पी खाता स 129/62 ज.स 2073-2076 मे 0.253 है कृष भूमि के वादी स 1 ता 3 को 0.190 है ब.हि.ब व वादी स 4 व 5 को 0.063 है ब.हि.ब के खातेदार काशत किया जाकर प्रतिवादी स 1 व 2 सुभाष व सुग्रीव कुमार का नाम कलमजन किया जाता है ।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे

नोट:- बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल..... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तकअदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22/03/2023 जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया